बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि॰प्रा॰/नि॰ 1-04/2017 386 पटना, दिनांक 25/05/2017

प्रेषक,

फूल सिंह
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)
सभी नोडल पदाधिकारी
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (मत्स्यजीवी सहयोग समिति)।

विषय : **प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन, 2017: अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय संबंधी विवरणी निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करने के संबंध में।**

महाशय,

मत्स्यजीवी सहयोग समिति ऐसे मछुआ सदस्यों का संगठन है, जो अपनी दशा सुधारने हेतु अपनी मदद आप करने एवं एक-दूसरे की मदद करने के लिये साथ बैठते हैं। एक ही तरह के कार्य में संलग्न रहने के कारण इस स्तर पर सामान्यत: सभी सदस्य एक-दूसरे से भली-भाँति परिचित रहते हैं। अत: मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चुनावों के समय अभ्यर्थियों को अपने प्रचार-प्रसार हेतु अधिक व्यय करने की न कोई जरूरत होनी चाहिये, न ही इसका कोई औचित्य बनता है।

2. निर्वाचन व्यय को नियंत्रित करने के संदर्भ में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 8 एवं 9 के प्रावधान भी आपके सुलभ प्रसंग हेतु उद्धृत किये जाते हैं-

धारा 8 - निर्वाचन व्यय का लेखा और उसकी अधिकतम राशि - (1) किसी निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पृथक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता से रखवायेगा।

धारा 9 -निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निरर्हता - यदि निर्वाचन प्राधिकार का समाधान हो जाए कि कोई व्यक्ति -

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चूक के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार आदेश द्वारा उसे निरर्हित घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाएगा।

3. निर्वाचन व्यय की सीमा को न्यूनतम स्तर पर रखने तथा निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा के सही संधारण हेतु बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकार निम्नांकित निदेश देता है:-

(1) किसी निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी नामांकन एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि(दोनों दिन सहित) में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किये गये सभी खर्च अथवा उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अधिकृत किये गये खर्चो का लेखा अलग से संधारित करेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन में निम्नलिखित राशि से अधिक कोई व्यय न किया जायेगा या न प्राधिकृत किया जायेगा -

(क) अध्यक्ष, मंत्री/कोषाध्यक्ष पद के मामले में दस हजार रूपये, एवं

(ख) प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में पाँच हजार रूपये

इस संबंध में यह भी ध्यातव्य हो कि -

(i) किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित पोस्टर, फलेक्सी, बैनर इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, अगर उक्त सामग्रियाँ विहित व्यय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं की गई हों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(4) के समनुरूप (Confirming to) नहीं हों। तथापि अभ्यर्थियों को मुद्रित सामग्री का वितरण व्यक्तिगत स्तर पर करने अथवा इसे पोस्ट द्वारा दूसरे सदस्यों को अपनी दृष्टि (vision) बतलाने तथा अपने चुनाव चिह्न को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से भेजने की अनुमति होगी।

प्राधिकार प्रचार-प्रसार हेतु अभ्यर्थियों द्वारा किसी तरह का नारा लिखकर, चित्र बनाकर या बैनर आदि टांगकर सार्वजनिक या निजी संपत्ति का विरूपण करने के सख्त खिलाफ है। निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखेंगे एवं विरूपण का मामला प्रकाश में आते ही संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध संपत्ति का विरूपण (निरोध) अधिनियम, 1987 की धारा 3 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के अधीन कानूनी कार्रवाई करेंगे।

(ii) किसी भी अभ्यर्थी को अपनी मत्स्यजीवी सहयोग समिति क्षेत्र के बाहर जुलूस निकालने, सार्वजनिक बैठकें करने और अन्य किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों/उनके समर्थकों द्वारा कोई गेट, तोरण द्वार, कट-आउट आदि नहीं लगाया जाएगा। नामांकन पत्र दाखिल करने आदि के समय वाहनों के काफिले अथवा जुलूस आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी।

(iii) चुनाव प्रचार कार्य करने हेतु लाउडस्पीकर के उपयोग करने पर पाबंदी रहेगी। प्रखंड क्षेत्र में फैले मतदाताओं से सम्पर्क करने एवं प्रचार कार्य हेतु अभ्यर्थी को एक हल्का मोटर वाहन या दो दोपहिया वाहन प्रयोग करने की अनुमति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। दोपहिया वाहन का उपयोग किए जाने की स्थिति में चालक या पिलियन के रूप में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता को वाहन पर रहना आवश्यक होगा; अन्यथा वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन का प्रयोग करने की अनुमति देने के दिन से ही उस वाहन पर किये गये व्यय को निर्वाचन व्यय अधिसीमा के तहत निश्चित रूप से गणित किया जाय। वाहन की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव कार्य के लिये होगी, जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के पश्चात किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिये जाने वाले वाहन परमिट में इस शर्त्त का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जायेगा। निदेश की अवहेलना किये जाने पर वाहन को तुरंत जब्त करने के साथ-साथ संबंधित अभ्यर्थियों पर संगत विधानों के अधीन फौजदारी मुकदमा भी दर्ज किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के दिन अभ्यर्थी या उनके समर्थकों द्वारा किसी भी तरह के वाहन के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किन्तु निर्वाचन कार्य से भिन्न अन्य सद्भाविक उद्देश्यों (bonafide purposes) के लिए मतदान के दिन निम्न प्रकार के वाहनों के परिचालन की अनुमति रहेगी :-

(क) मालिक (owner) द्वारा, निजी कार्यवश, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है, प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन।

(ख) मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी के बाहर रहते हुए मालिक द्वारा स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को मतदान हेतु मतदान केन्द्र पर ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहन।

(ग) आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले वाहन, यथा अस्पताल के ऐम्बुलेन्स, मिल्क वान, वाटर टैंक, विद्युत इमरजेन्सी वान तथा कर्तव्यरत आरक्षी एवं मतदान पदाधिकारियों के साथ संलग्न वाहन।

(घ) पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें, जो निर्धारित टर्मिनस एवं रूट पर चलायी जाती है।

(ड.) टैक्सी, तीन पहिया वाहन, रिक्शा इत्यादि जिनसे अपरिहार्य परिस्थितिवश रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, अस्पताल आदि की यात्रा की जा रही हो।

(च) निजी वाहन, जिनका उपयोग बीमार अथवा नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा खुद के लिए किया जाता है।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 14 की उपधारा (vi) के प्रावधानों के अनुसार उम्मीदवार या **उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केन्द्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के नि:शुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा।**

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा।

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त **उन्हें पाँच वर्षो के लिए किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से निरर्हित भी किया जा सकता है।**

प्राधिकार यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी बनाये गये प्रशासनिक तंत्र तथा चुनाव प्रक्रिया में लगे कर्मियों को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन के दौरान मत्स्यजीवी सहयोग समिति क्षेत्र में सरकारी/स्थानीय निकायों/सहयोग समितियों/अन्य निकायों जिसमें सार्वजनिक निधि का व्यय किया जाता है, से संबंधित वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(3) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन के तुरंत पश्चात अपना दिन-प्रतिदिन व्यय का लेखा संधारित करने के संबंध में प्रपत्र ई-12 में एक सूचना निर्गत की जायेगी एवं उसके साथ लेखा के संधारण हेतु प्रपत्र ई-13 में एक पंजी भी दी जायेगी। अभ्यर्थी से सूचना एवं पंजी प्राप्ति के संबंध में संलग्न प्रपत्र-14 में पावती प्राप्त कर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी।

(4) पंजी के प्रत्येक पृष्ठ की पेजिंग की रहेगी तथा वह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित रहेगी।

(5) अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा अपने व्यय संबंधी लेखा का सही-सही संधारण सिर्फ उक्त पंजी में ही अंकित किया जायेगा, किसी अन्य पंजी में नही। पंजी में प्रविष्टि दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जायेगी तथा इसकी जाँच किसी भी समय जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0) या उसके द्वारा प्राधिकृत उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी/प्रेक्षक/ निर्वाचन पदाधिकारी/ उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(6) व्यय के समर्थन में सभी अभिलेख यथा अभिश्रव, प्राप्ति, विपत्र, पावती इत्यादि दिन-प्रतिदिन के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे तथा उपर्युक्त पंजी के साथ कालक्रमानुसार (Chronological order) में संधारित कर रखे जायेंगे। प्रत्येक अभिश्रव आदि पर अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता का पूर्ण हस्ताक्षर रहना आवश्यक है।

(7) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपना निर्वाचन व्यय विवरण **हर पांचवे दिन** के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारियों के समक्ष स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसा करने में असफल रहने पर इसे उसकी तरफ से भारी चूक माना जायेगा।

(8) उक्त पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों के लेखा की जाँच की जायेगी तथा वे पंजी के संगत पृष्ठों की दो छाया प्रतियाँ रखेंगे। एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के नोटिस बोर्ड पर तथा दूसरी प्रति प्रत्येक मत्स्यजीवी सहयोग समिति से संबंधित संचिका में अलग-अलग अभिलेख के सबूत के रूप में अपने पास रखी जायेगी तथा निर्वाचन समाप्ति के पश्चात संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितिों को भेजा जायेगा।

(9) प्राधिकार के प्रेक्षक अपने स्तर से भी प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, उसके समर्थक अथवा अभिकर्त्ता द्वारा किये गये व्यय का स्वतंत्र रूप से आकलन करेंगे। प्रेक्षक प्राधिकार को समर्पित किये जाने वाले अपने सामान्य प्रतिवेदन में भी उक्त संबंध में पूर्ण चर्चा करेंगे।

(10) **निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पंद्रह दिनों के अंदर** प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने व्यय से संबंधित लेखा-जोखा निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर देना होगा। जैसे ही किसी अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत किया जाता है, वह इसे तुरंत संलग्न प्रपत्र ई-15 में पावती निर्गत करेगा। अगर लेखा व्यक्तिगत रूप से समर्पित किया जाता है, तो पावती संबंधित व्यक्ति को हाथों-हाथ उपलब्ध करा दी जायेगी तथा अगर डाक के द्वारा समर्पित किया जाता है, तो पावती डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।

5. पंजी निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ मूल रूप में जमा की जायेगी तथा इसमें संलग्न प्रपत्र में व्यय से संबंधित एक सार विवरण प्रपत्र ई-16 तथा प्रपत्र ई-17 में एक शपथ पत्र भी संलग्न रहेगा। बिना शपथ पत्र के पंजी को स्वीकार नही किया जायेगा।

(1) निर्वाचन पदाधिकारी समर्पित लेखा की सत्यता के संबंध में जाँच करेगा एवं तत्पश्चात् अपने कार्यालय के सूचना पट पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा -

(क) तिथि, जिस दिन लेखा जमा किया गया है;

(ख) अभ्यर्थी का नाम; और

(ग) समय एवं स्थान, जहाँ ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकता है।

जाँच लेखा जमा करने के दस दिनों के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए।

(2) निर्वाचन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र ई-16 में दिये गये व्यय संबंधी विवरण की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) एवं प्राधिकार को देगा।

(3) उस अभ्यर्थी को प्राधिकार द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से मात्र एक ''कारण बताओ'' नोटिस निर्गत की जायेगी जो विहित अवधि के भीतर व्यय विवरण समर्पित करने में असमर्थ रहता है। निबंधित डाक से सूचना भेजे जाने पर, अगर एक महीने की अवधि के अंतर्गत अनडिलिभर्ड (Undelivered) की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो गई हो तो, यह माना जायेगा कि नोटिस का तामिला हो चुका है तथा नोटिस निर्गत होने की तिथि से एक माह बीत जाने पर मामले को निष्पादित कर दिया जायेगा। सूचना की एक प्रति संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सचिव को भी अभ्यर्थी को तामिला कराने हेतु भेजी जायेगी। कारण बताओ नोटिस निम्न प्रपत्र में होगा -

प्रेषित,

....., अभ्यर्थी, ... मत्स्यजीवी सहयोग समिति

निर्वाचन पदाधिकारी, ... मत्स्यजीवी सहयोग समिति से प्राप्त सूचनानुसार आपने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा विहित समय सीमा के अंदर निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित नहीं किया है। फलस्वरूप बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अधीन प्राधिकार आपको अगले तीन वर्षों तक के लिये चुनाव लड़ने हेतु निरर्हित घोषित करने पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है। इस नोटिस प्राप्ति के एक महीने के भीतर प्राधिकार को लिखित रूप में आप कारण बतायें कि क्यों नहीं आपको उक्त धारा के अधीन चुनाव लड़ने हेतु निरर्हित घोषित कर दिया जाय। विहित समय के भीतर आपका जवाब नहीं प्राप्त होने पर मामले को एकतरफा निष्पादित कर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन प्राधिकार

(4) किसी अभ्यर्थी से संबंधित सभी पत्राचार उस पते पर किया जायेगा, जो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में अंकित है। **अभ्यर्थी अपने पते में किसी परिवर्तन अथवा भविष्य में पत्राचार हेतु सही पते की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को अवश्य देगा।**

(5) निर्वाचन व्यय का लेखा अंग्रेजी/हिन्दी में समर्पित किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)/निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करने से संबंधित कानून/परिपत्र/निदेश/प्रपत्र आदि के अवतरण हिन्दी में उपलब्ध करा दिये जायें ताकि वे नियमों/प्रावधानों से भली-भाँति अवगत रहे तथा अपने दिन-प्रतिदिन के व्यय से संबंधित लेखा का संधारण सम्यक् ढंग से कर सके।

(6) दस रूपये की फीस परिदत्त किये जाने पर कोई व्यक्ति ऐसे लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा एवं प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रूपये फीस भुगतान करने पर वह उस लेखा या इसके किसी अंश की अभिप्रमाणित प्रति लेने का हकदार होगा। **इस मद में प्राप्त राशि संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति की निधि में जमा करा दी जायेगी।**

(7) नोटिस का तामिला हो जाने एवं जवाब, अगर दिया गया हो, प्राप्त हो जाने पर प्राधिकार समस्त मामले की विस्तृत विवेचना करेगा एवं प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अधीन अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने के बिन्दु पर निर्णय लेगा।

(8) प्राधिकार के इन निदेशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का सबूत शीर्ष सहकारी समितियों का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक आवश्यक अहर्ता होगी।

4. जिला दण्डाधिकारी कृपया प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी अविलम्ब अवगत करा दें तथा उन्हें निदेश दें कि नामांकन पत्र भरने के समय ही वे सभी अभ्यर्थियों को उपर्युक्त प्रपत्रों की प्रति निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे। जिला सहकारिता पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मत्स्यजीवी सहयोग समितिों को भी प्राधिकार के इस निदेश की प्रति जरूर उपलब्ध करा दी जाय। प्रपत्रों की प्रति निर्वाचन पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका एवं प्राधिकार के बेवसाईट **bsea.bih.nic.in** पर उपलब्ध है।

विश्वासभाजन
21.5.17

(फूल सिंह)
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

24.5.17